

फार्म डी - 4  
(देखें नियम 4)

सरकार द्वारा दी गयी गारंटी

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान गारंटी अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वृद्धि	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कटौती (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रदत्त नयी गारंटी को छोड़कर)	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रदत्त नयी गारंटी		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		टिप्पणी
						चुकायी गयी	न चुकायी गयी		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रत्यक्ष देयताए-5	8579.28	3213.35	700.00	0.00	835.95	7743.33	3077.40	0.00	0.00	
2	उच्च जोखिम-1	64.00	43.32	0.00	0.00	8.60	55.40	34.72	0.00	0.00	
3	मध्यम जोखिम-4	20520.92	14901.46	1672.28	0.00	0.00	20520.92	16573.74	0.00	0.00	
4	निम्न जोखिम-3	858.30	1341.75	0.00	0.00	70.10	788.20	1271.65	0.00	0.00	
5	अति निम्न जोखिम-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग	30022.50	19499.89	2372.28	0.00	914.65	29107.85	20957.51	0.00	0.00	

टिप्पणी: रिपोर्टगत वर्ष उस वर्ष से जिसके लिये वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदान मांग रखी गई है, दो वर्ष पीछे का वर्ष होगा।

1	प्रत्यक्ष देयताए-5	ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, गृह विभाग
2	उच्च जोखिम-1	चिकित्सा शिक्षा विभाग
3	मध्यम जोखिम-4	सहकारिता, समाज कल्याण, आदिम जाति, खाद्य विभाग
4	निम्न जोखिम-3	ऊर्जा, नगरीय प्रशासन विभाग
5	अति निम्न जोखिम-0	निरंक